<u>महत्वपूर्ण/तत्काल</u>

<u>संख्या-04/2016/180/84-डे0ई0-16-नि0-109/2000,</u>

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ::दिनांक 15 मार्च, 2016

विषय:- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिष्ठान संबंधी मामलों में अधिशासी निदेशक के दण्डादेशों के विरूद्ध निगम कर्मचारियों की अपीलों की सुनवाई/निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 12-02-2016 द्वारा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक दिनांक 20-01-2016 का कार्यवृत्त शासन को उपलब्ध कराया गया है, जिसके एजेण्डा बिन्दु संख्या-15(क) में संबंधित अपीलों को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/अपीलीय अधिकारी के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार शासन के पत्र संख्या-287/84-डे0ई0-2015-नि0-53/06टी0सी0 दिनांक 02-06-2015 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिष्ठान संबंधी मामलों में अधिशासी निदेशक के आदेशों/दण्डादेशों के विरूद्ध निगम कर्मचारियों के अपीलीय मामलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु अपीलीय स्तर के रूप में एक उपसमिति गठित करायी जाये, जिसमें अधिशासी निदेशक से उच्च स्तर के अधिकारी सम्मिलित हों। उक्त समिति के समक्ष अपीलों के निस्तारण हेतु परीक्षण टिप्पणी/अभिलेख प्रस्तुत करने का दायित्व अधिशासी निदेशक का होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही के प्रस्ताव पर संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

2- इस संबंध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 02-06-2015 में प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत अपीलों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://sirsamadesh.up.nic.in/go